भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3289
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

नैनीताल उच्च न्यायालय का स्थानांतरण

3289. श्री जय प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से बदलकर किसी उपयुक्त स्थान, अधिमानतः हल्द्वानी में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उच्च न्यायालय के स्थानांतरण की स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से उक्त स्थान पर पर्याप्त भूमि चिह्नित कर ली है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उच्च न्यायालय के कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 26(2) में कहा गया है कि "उत्तरांचल उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा नियत करें।" तदनुसार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तारीख 09.11.2000 को नैनीताल में गठित की गई थी। उच्च न्यायालय के स्थानांतरण की आगे की अधिसूचना राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् सरकार द्वारा की जाती है जिसमें उच्च न्यायालय के संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता की पुष्टि की जाती है और उच्च न्यायालय की सहमति के साथ-साथ उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ के कार्य करना आरंभ करने की संभावित तारीख भी दी जाती है। वर्तमान में उपरोक्त पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित नहीं है।

****